क्रमांक – 11

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2023 (फाल्गुन 10, 1944)

कार्यमंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2023 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यो पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करने की सिफारिश को सदन द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई :–

1. वित्तीय कार्य –

(1) वित्तीय वर्ष 2022–23 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण, गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु **3 घंटे का समय निर्धारित किया गया।**

(2) वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय व्ययक का उपस्थापन सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2023 को मध्यान्ह् 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को होगी।

(3) मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 से बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 तक वित्तीय वर्ष 2023–2024 के आय–व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा।

(4) गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) **वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :–**

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	–	2 घंटे, 30 मिनट
(2) श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	–	2 घंटे
(3) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री	–	2 घंटे
(4) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री	–	2 घंटे
(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	–	2 घंटे

(6) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री – 2 घंटे
(7) श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री – 2 घंटे
(8) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री – 1 घंटे
(9) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री – 1 घंटे
(10) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री – 1 घंटे
(11) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री – 1 घंटे
(12) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री – 1 घंटे
(13) श्री अमरजीत भगत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री – 1 घंटे

2. विधि विषयक कार्य :–

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 तथा
(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023।
पर चर्चा हेतु 30–30 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया कि शनिवार, दिनांक 4 मार्च, 2023 को सभा की बैठक रखी जाकर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तथा दिनांक 13 मार्च, 2023 से 23 मार्च, 2023 तक भोजन अवकाश नहीं होगा साथ ही सभा की कार्यवाही रात्रि 7:00 बजे तक होगी।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.